रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 295] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 1972/अग्रहायण 20, 1894
No. 295] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 1972/AGRAHAYANA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 11th December 1972

G.S.R. 484(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 164/72-C.E., dated the 10th July, 1972, namely:—

In the said notification, the words "and intended for making sacks", shall be omitted.

[No. 227/72.]

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बीमा विभाग

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर 1972

सा०का०नि० 484(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 164/72—के० उ० शु० तारीख 10 जुलाई 1972 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "फैब्रिकों के विनिर्माण में किया गया हो और जो—

(क) उत्पादन कारखाने में; या

(ख) किसी अन्य कारखाने में

"बोरे बनाने के लिए आशयित हो" शब्दों के स्थान पर

फैब्रिकों के विनिर्माण में—

(क) उत्पादन कारखाने में; या

(ख) "किसी अन्य कारखाने में किया गया हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 227/72]

G.S.R. 485(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 165/72-C.E., dated the 10th July, 1972, namely:—

In the said notification, the words "and intended for making sacks", shall be omitted.

[No. 228/72.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

सा०का०नि० 485 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 165/72 के० उ० शु० तारीख 10 जुलाई 1972 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना "जो बोरे बनाने के लिए आशयित" शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे ।

[सं० 228/72]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, DELHI, 1972